बिहार सरकार
खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

पत्रांक -पू०आ०वि०प्र०:13/05 798 आ० वा०, पटना/दिनांक 04/03/2006

प्रेषक,

अरूण झा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
विशिष्ट पदाधिकारी, प्रभारी अनुभाजन, पटना

विषय :- जन वितरण प्रणाली विक्रेता के कार्यकलाप के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जन वितरण प्रणाली विक्रेता के सम्बन्ध में उनकी दुकान बंद रखने, सूचनापट प्रदर्शित नही करने, लाल कार्डधारियों को निर्धारित दर और मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नही कराने, लाभान्वितों के कार्ड को विक्रेता द्वारा दुकान में रख लिये जाने, बी० पी० एल० कार्ड में गलत प्रविष्टि करने, खाद्यान्न के विचलन और कालाबाजारी करने में संलिप्त रहने आदि की शिकायतों के त्वरित निष्पादन की दिशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.03 को पारित न्यायादेश के आलोक में आवश्यक निदेश विभागीय पत्रांक 1868 दिनांक 11.06.03 द्वारा निर्गत किया गया था । उपर्युक्त कार्यकलाप को रोकने एवं दोषी विक्रेता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने हेतु समय-समय पर निदेश/अनुदेश निर्गत किये जाते रहे है, फिर भी अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा दोषी विक्रेता के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई नही की जाती हैं ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा PUCL Vs. UOI and Ors. Civil original Jurisdiction writ petition (Civil) No. 196 of 2001, में दिनांक 2.5.03 को पारित आदेश में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के कार्यकलाप के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि :-

The Ration Shops should remain open throughout the month during fixed hours and the details of which shall be displayed in the notice board.

To facilitate the supply of the grains Hon'ble Supreme Court nas issued the following directions :-

1. Licensees, who
   (a) do not keep their shops open throughout the month during the stipulated period,
   (b) fail to provide grains to BPL families strictly at BPL rates and no higher,
   (c) keep the cards of BPL households with them,
   (d) make false entries in the BPL cards,
   (e) engage in black-marketing or siphoning away of grains to the open market and hand over such ration shops to such other person/organizations

   shall make themselves liable for cancellation of their licenses. The Concerned authorities/functionaries would not show any laxity on the subject.

2. Permit the BPL household to buy the ration in instalments.

3. Wide Publicity shall be given so as to make BPL families aware of their entiltlement of foodgrains.

सन्दर्भित शिकायतों के आलोक में जिला प्रशासन के स्तर से यदि कभी कार्रवाई की जाती है तो दोषी विक्रेता द्वारा इसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिया जाता है । याचिका के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अथवा जिला प्रशासन के स्तर से प्रतिशपथ पत्र दायर करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों का उल्लेख नही किया जाता है जिसके फलस्वरूप याचिकाकर्ता को लाभ मिलने की सम्भावना बन जाती है ।

अतः अनुरोध होगा कि शिकायतों की तत्काल रोकथाम की दिशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपयुक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाय । दोषी विक्रेताओं के विरूद्ध अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश का उल्लेख किया जाय तथा दोषी विक्रेता द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध याँचिका दायर की जाती है तो दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र में भी इस आदेश का उल्लेख किया जाय ताकि दोषी विक्रेता को किसी प्रकार का लाभ नही मिलने पाये ।

विषय-वस्तु की जानकारी कृपया अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी दे दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(अरूण झा) 5/3/12

सरकार के सचिव ।